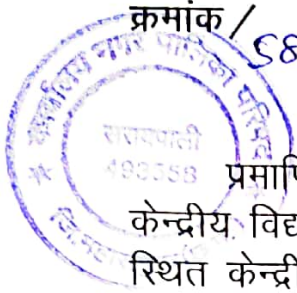


कार्यालय नगर पालिका परिषद सरायपाली जिला-महासमुन्द (छ0ग0)

Email Id – cmonppsaraipali@gmail.com

क्रमांक / 586 / न0पा0प0 / तक. / 2026-27

सरायपाली, दिनांक 21.09.26



// अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र //

प्रमाणित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद सरायपाली क्षेत्रान्तर्गत स्थित केन्द्रीय विद्यालय परिसर वार्ड क्रं. 01 भंवरपुर रोड सरायपाली, जिला-महासमुन्द (छ.ग.) में स्थित केन्द्रीय विद्यालय स्कूल का इस निकाय के उप अभियंता एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा प्राचार्य की उपस्थिति में दिनांक 11.09.2026 को संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। जिसे निम्न शर्तों के अधीन यह प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें

1. सभी अग्नि सुरक्षा से संबंधित उपकरण/प्रणाली, निकास द्वार व्यवधान रहित एवं रख रखाव सही रखा जावें। इसमें किसी प्रकार की चूक के लिए प्रबंधन जवाबदार होगा।
2. अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात् भवन में विस्तार एवं अन्य कार्य किया जाता है तो इस प्रमाण पत्र को निरस्त माना जावेगा।
3. अग्नि शमन प्रणाली/उपकरणों को प्रचलित करने के संबंध में सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाए एवं नियमित रूप से आपदा की स्थिति में बाहर निकलने का माक ड्रिल कर इसका रिकार्ड बनाकर रखा जावे।
4. बेसमेंट का उपयोग करने में बिल्डिंग बाय लॉज का कड़ाई से पालन किया जावे।
5. मकान मालिक/कब्जाधारी प्रतिवर्ष अग्नि की रोकथाम और सुरक्षा की स्थिति के संबंध में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे, जो पुनः निरीक्षण योग्य होंगे।
6. अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से केन्द्रीय विद्यालय स्कूल में स्थापित सभी उपकरण हमेशा सुचारु रूप से चालू रखने की जिम्मेदारी पूर्णतः केन्द्रीय विद्यालय संगठन की होगी जिसके लिए नगर पालिका परिषद सरायपाली, जिला-महासमुन्द (छ.ग.) एवं आपातकालीन सेवाएं तथा राज्य आपदा मोचन बल मुख्यालय छ0ग0 की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी।

टीप :- यह प्रमाण पत्र जारी तिथि से 01 वर्ष तक के लिए वैध माना जावेगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद सरायपाली
जिला-महासमुन्द (छ.ग.)